

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 01 /2022/1930272/2021
लखनऊ दिनांक 05 जनवरी,2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली,1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम ,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि उल्दन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मगरपुर रेलवे स्टेशन के निकट, जिला झांसी के स्वामित्वाधीन नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट खाद्यान्न , दलहन, फल और सब्जी आदि के थोक सौंदों हेतु 20 वर्ष तक के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होगा कि कृषक/विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और न ही फुटकर व्यापार हेतु उक्त स्थान का प्रयोग किया जायेगा ।

मंडी उप- स्थल की खसरा एवं चौहददी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, मऊरानीपुर, निकट रेलवे स्टेशन मगरपुर, जिला झांसी के मंडी क्षेत्र के भीतर स्थित खसरा सं0-445 क्षेत्रफल 4480 वर्ग मीटर

- पूरब - खेत नं० 444
पश्चिम- खेत नं० 446
उत्तर - मगरपुर रेलवे स्टेशन और सड़क ।
दक्षिण - खेत नं० 447

आज्ञा से,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 01/2022/1930272/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित दिनांक 05-01-2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के

भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उसकी मुद्रित 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, झांसी ।
5. सभापति /सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मऊरानीपुर।
6. उल्दन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, झांसी।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. - **01/2022/1930272/2021**, dated **05** January,2022

NOTIFICATION

No. 01 /2022/1930272/2021

Lucknow, Dated: 05 January,2022

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by Uldan Agriculture Producer Company Limited, near Railway Station, Magarpur, District Jhansi shall be Market Sub-Yard for specified wholesale transaction of foodgrains, pulses, fruits and vegetables, etc. with effect from the date of publication of this notification in the Gazette upto 20 years, with the condition that no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller and the place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Khasra No. 445 Area, 4480 square meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Mauranipur, Near Railway Station, Magarpur, District Jhansi.
--

East : Field no. 444
West : Field no. 446
North : Magarpur Railway Station and Road
South : Field no. 447

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।